प्रेषक,

अजीज अहमद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त निदेशकगण (बलरामपुर, लखनऊ, डा0 एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय, लखनऊ लोकबन्धु राजनारायण चिकित्सालय, लखनऊ, मानसिक चिकित्सालय, बरेली व वाराणसी)।
2. समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2022

विषयः- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आवद्ध सरकारी चिकित्सालयों द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आवद्ध निजी चिकित्सालयों की भाँति सरकारी चिकित्सालयों को भी लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त क्लेम धनराशि प्राप्त होती है। सरकारी चिकिसालयों द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक इलाज उपलब्ध कराने तथा चिकित्सालयों में रोगी सुविधाओं को वेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में किया जाता है।

2- योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिक से अधिक योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध करायें, तथा प्राप्त क्लेम धनराशि को संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यय करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोक्त।

Signed by अजीज अहमद
Date: 28-03-2022 18:23:56
Reason: Approved

भवदीय,
(अजीज अहमद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 (SHA), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0/आर0के0एस0/2022/144, दिनांक 09.02.2022 व पत्र संख्या-ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0/आर0के0एस0/2022/270, दिनांक 10.03.2022 के क्रम में।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. स्टेट को-ऑर्डिनेटर, यू0पी0, ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या-फाईल संख्या-5-1099/72/2021-1 पत्र संख्या-1/150722/2022
दिनांक 28-03-2022 का संलग्नक

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध सरकारी चिकित्सालयों द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि को पृथक खाते में जमा किया जायेगा। यदि पूर्व से क्लेम धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जा रही है तो उसी खाते में क्लेम धनराशि पूर्ववत जमा की जाये परन्तु योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि की प्राप्ति एवं व्यय की पृथक लेखा पुस्तिका एवं लेजर मेनटेन की जाये।

2- प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक प्राप्त क्लेम धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि को लेखा पुस्तिका/लेजर में मदवार अपडेट किया जाये।

3- प्राप्त क्लेम धनराशि का व्यय मुख्य रूप से निम्नलिखित मदों के सापेक्ष आवंटित अंश (प्रतिशत) के अनुरूप किया जायेगा।

क्र.स.	व्यय हेतु निर्धारित मद	अंश (प्रतिशत)
(क)	दवाओं, इम्प्लान्ट्स, कन्ज्यूमेबल्स आदि के क्रय एवं पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी जांच हेतु भुगतान	40 प्रतिशत
(ख)	चिकित्सालय में रोगी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु सामग्री के क्रय आदि पर भुगतान।	20 प्रतिशत
(ग)	योजना से सम्बन्धित मानव संसाधन (आरोग्य मित्र) का मानदेय।	15 प्रतिशत
(घ)	योजना के लाभार्थियों के उपचार से सम्बन्धित स्टाफ/चिकित्सालय के अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ एवं आशा को प्रोत्साहन राशि।	15 प्रतिशत
(च)	योजना से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यय।	10 प्रतिशत

(क) दवाओं, इम्प्लान्ट्स, कन्ज्यूमेबल्स आदि के क्रय एवं पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी जांच हेतु भुगतान :-

यह महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान लाभार्थी को योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में उपचार के लिये दवाओं अथवा जांच आदि हेतु किसी प्रकार का कोई भुगतान न करना पड़े। इसी उददेश्य से योजना के लाभार्थी को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

Scanned by CamScanner

(i) ऐसी दवा/इम्प्लान्ट/कन्ज्यूमेबल जो लाभार्थी के उपचार हेतु आवश्यक है परन्तु चिकित्सालय में तत्समय उपलब्ध नही है, को नियमानुसार क्रय किया जाये। चिकित्सालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि क्रय की गयी दवा चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। दवाओं के क्रय में जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दी जाये एवं यथा-सम्भव जन औषधि केन्द्र से क्रय की जायें।

(ii) इसी प्रकार आयुष्मान लाभार्थी को उपचार हेतु आवश्यक पैथालॉजी अथवा रेडियोलॉजी जांच जो चिकित्सालय में उपलब्ध नही है, को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाये। आउटसोर्सिंग के माध्यम से करायी गयी जांच की दर सी0जी0एच0एस0 की दरों से अधिक न हो।

दवाओं, इम्प्लान्ट्स, कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय के सम्बन्ध में सरकारी चिकित्सालयों द्वारा निम्नलिखित आवश्यक अभिलेख मेनटेन किया जाये :-

- रोगी कल्याण समिति अथवा क्रय समिति की बैठक का कार्यवृत्त जिसमें आवश्यक सामग्री के क्रय/जांच हेतु आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इमर्जेन्सी उपचार की स्थिति में आवश्यक दवाओं का क्रय अथवा आवश्यक जांच बिना पूर्वानुमोदन के करायी जा सकती है परन्तु उसका कार्योत्तर अनुमोदन समिति से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- स्टॉक रजिस्टर जिसमें क्रय की गयी दवायें, इम्प्लान्ट्स, कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय एवं उपयोग का तिथिवार अंकन हो।

<u>(ख) चिकित्सालय में रोगी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु सामग्री के क्रय/मरम्मत आदि पर भुगतान :-</u>

इस मद में आवंटित अंश का व्यय ऐसे कार्यो हेतु किया जायेगा जो रोगियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने में सहायक हों जैसे :-

(i) छोटे सिविल/मरम्मत कार्य जैसे-रोगी वार्ड, ओ0टी0, लैब, अस्पताल के शौचालय आदि में सूक्ष्म मरम्मत कार्य कराये जा सकते हैं।

(ii) इलेक्ट्रिकल/प्लम्बिंग कार्य-रोगी वार्ड, ओ0टी0, लैब, अस्पताल के शौचालय, ओ0पी0डी0 परिसर आदि में आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य, नये इलेक्ट्रिक कनेक्शन, स्विच बोर्ड, स्विच आदि बदलने का कार्य किया जा सकता है।

(iii) छोटे मेडिकल इक्यिूपमेन्ट यथा हिमोग्लोबिनोमीटर, अम्बूबैग, स्टेथोस्कोप, बी0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट, हब-कटर, रेडिएन्ट वार्मर आदि का क्रय किया जा सकता है। क्रय से पूर्व चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित करना होगा कि क्रय किये जाने वाले इक्यिूपमेन्ट स्टेट बजट अथवा एन0एच0एम0 के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

Scanned by CamScanner

(iv) आवश्यकतानुसार ओ0टी0, लेवर रूम, आई0सी0यू0 आदि में ए0सी0 यूनिट, रूम हीटर आदि भी स्थापित किये जा सकते हैं।

(v) मेडिकल इक्यिूपमेन्ट्स की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।

(vi) अस्पताल परिसर में सुविधायें-रोगी के परिजनों (अटेन्डेन्ट) हेतु विश्राम स्थल पर शेड लगाने, बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन हेतु व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड, वॉटर प्यूरीफायर, आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है।

नोट :- चिकित्सालय द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो हेतु नहीं किया जा सकता है :-

- ऐसी दवाओं/इक्यिूपमेन्ट्स/इम्प्लान्ट्स आदि का क्रय जो स्टेट बजट अथवा एन0एच0एम0 के माध्यम से चिकित्सालय को उपलब्ध कराया गया है।
- ऐसे सिविल कार्य/मरम्मत कार्य, इक्विपमेन्ट क्रय/मरम्मत जिनके लिए स्टेट बजट अथवा एन0एच0एम0 के माध्यम से बजट व्यवस्था की गयी है।
- कार्यालय हेतु फर्नीचर, ए0सी0, कन्ज्यूमेबल्स आदि का क्रय।
- वाहन मरम्मत/पी0ओ0एल0 की व्यवस्था।
- कार्यालय हेतु कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स आदि का क्रय/मरम्मत।
- कोई भी ऐसा कार्य जो योजना के लाभार्थियों के उपचार में सहायक न हो अथवा जो रोगी सुविधाओं को बेहतर बनाने से सम्बन्धित न हो।

(ग) <u>योजना से सम्बन्धित मानव संसाधन जैसे आरोग्य मित्र का मानदेय</u>।

चिकित्सालय में तैनात आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि से ही किया जाना है। अतः योजना हेतु समर्पित कम्प्यूटर आपरेटर/आरोग्य मित्र रखे जायें जो चिकित्सालय में भर्ती होने वाले रोगियों में से योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराने में सहायता करें तथा समय से योजना के पोर्टल (टी0एम0एस0) पर क्लेम अपलोड करें जिससे चिकित्सालय को क्लेम धनराशि प्राप्त हो सके एवं आरोग्य मित्र का मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) <u>योजना के लाभार्थियों के उपचार से सम्बन्धित स्टाफ/चिकित्सालय के अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ एवं आशा को प्रोत्साहन राशि।</u>

(i) प्रत्येक माह संकलित क्लेम धनराशि का अधिकतम् 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किया जा सकता है।

(ii) स्टाफ एवं आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का वितरण निम्नवत किया जाएगा:-

- 15 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों का उपचार करने वाली टीम के सदस्यों को दिया जाएगा। टीम लीडर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा

Scanned by CamScanner

अधिकारी की सहमति से टीम के सदस्यों के मध्य प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी, जिसमें वे स्वयं भी होंगे।

- 02 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को लाने वाली आशा अथवा अन्य Voluntary Worker यथा आशा संगिनी आदि को दिया जाएगा।
- 03 प्रतिशत धनराशि अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ को दिया जाएगा, जिसका निर्धारण अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(iii) प्रोत्साहन राशि की अनुमन्यता हेतु चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत प्रतिमाह कम से कम निम्नलिखित उपलब्धियाँ अनिवार्य होंगी -

- चिकित्सालय में उपलब्ध अन्तः शैयाओं (Indoor Beds) की संख्या के आधार पर योजना के लाभार्थियों की भर्ती अनिवार्य होगी। किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जिसमें 30 शैयायें उपलब्ध हैं, प्रत्येक माह कम से कम 30 आयुष्मान लाभार्थियों को भर्ती करना अनिवार्य होगा।

  इसी प्रकार यदि किसी जिला चिकित्सालय में 100 शैयायें उपलब्ध हैं तो प्रतिमाह कम से कम 75 आयुष्मान लाभार्थी भर्ती करना अनिवार्य होगा। जिला चिकित्सालय अथवा अन्य सरकारी चिकित्सालय जिनमें शैयाओं की उपलब्धता 100 से अधिक है, उनमें समानुपाती रूप से प्रतिमाह लाभार्थियों की भर्ती अनिवार्य होगी।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ सुविधाओं की कमी तथा जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध पर्याप्त विशेषज्ञ सुविधाओं के परिपेक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त प्रतिमाह औसत क्लेम धनराशि (Average Claim Amount) की न्यूनतम सीमा निम्नवत् निर्धारित होगी :-

➢ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु औसत क्लेम धनराशि की न्यूनतम सीमा रू0 1800/- प्रति क्लेम होगी। अर्थात् किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिमाह न्यूनतम 30 आयुष्मान लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा किये गये क्लेम की प्रतिमाह क्लेम धनराशि न्यूनतम् रू0 54,000/- (रू0 चौवन हजार) होनी चाहिये।

➢ जिला चिकित्सालयों/अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालयों में औसत क्लेम धनराशि की न्यूनतम सीमा रू0 3000/- होगी। अर्थात् 100 शैयाओं वाले किसी जिला चिकित्सालय में प्रतिमाह 75 आयुष्मान लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा किये गये प्रतिमाह क्लेम धनराशि की न्यूनतम् सीमा रू0 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार) होनी चाहिये।

नोटः- यदि किसी माह में चिकित्सालय द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं0-घ-(iii) में उल्लिखित न्यूनतम उपलब्धियां हासिल नहीं की जाती हैं, तो उस माह प्राप्त कुल क्लेम की 15 प्रतिशत धनराशि

Scanned by CamScanner

प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य नहीं होगी। उक्त 15 प्रतिशत धनराशि बिन्दु सं0-3 (ख) में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप चिकित्सालय में रोगी सुविधाओं को बेहतर किये जाने पर व्यय किया जा सकता है।

(च) योजना से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यय

माह में प्राप्त कुल क्लेम धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यो में व्यय किया जा सकता है :-

(i) योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई0टी0 हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के रख-रखाव हेतु।

(ii) योजना के कार्यान्वयन में आवश्यक कार्यालय कन्ज्यूमेबल्स के क्रय हेतु।

(iii) बैंक चार्जेज।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालय में आयुष्मान लाभार्थी के उपचार हेतु टेली कन्सल्टेशन द्वारा विशेषज्ञ परामर्श के सापेक्ष भुगतान हेतु।

4- चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान लाभार्थियों के उपचार हेतु आवश्यक इम्प्लान्ट्स/स्टेन्ट/कन्ज्यूमेबल्स/दवाइयां आदि का क्रय रोगी कल्याण समिति/क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा। जिन इम्प्लान्ट्स/स्टेन्ट/ कन्ज्यूमेबल्स/दवाइयों को प्रायः क्रय करने की आवश्यकता होती है, ऐसी आवश्यक वस्तुओं को रोगी कल्याण समिति/क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त क्रय करते हुए स्टाक में रखा जाये जिसे आवश्यकतानुसार आयुष्मान लाभार्थी के उपचार में उपयोग किया जा सके। केवल ऐसी वस्तुओं का क्रय किया जाये जो चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं।

5- योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि की एकाउन्टिंग हेतु पृथक खाते, स्टाक बुक, लेजर आदि मेन्टेन किया जाये। प्राप्त क्लेम धनराशि के व्यय में प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाये।

6- वर्ष के प्रत्येक तिमाही के उपरान्त अगले माह की 05 तारीख तक चिकित्सालय द्वारा तिमाही में प्राप्त क्लेम धनराशि एवं व्यय का विवरण स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज) को उपलब्ध कराया जाये। साचीज द्वारा व्यय विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।

7- क्लेम धनराशि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख ऑडिट हेतु सुरक्षित रखे जायें।

8- यदि किसी वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि का व्यय 80 प्रतिशत से कम होता है तो चिकित्सालय द्वारा शेष धनराशि (Unspent Amount) स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज) को वापस की जायेगी।

(अजीज अहमद)
संयुक्त सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
उ० प्र० शासन।

Scanned by CamScanner